वार्ड क्रं. 22 कुरूद में हो रहे 200 से अधिक अवैध प्लाटिंग के विरूद्व कार्यवाही की गई

भिलाईनगर। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रं. 22 शीतला तालाब कुरूद से लगे हुए क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। वहां पर प्लाट विक्रेताओ द्वारा छोटे-छोटे प्लाट काटकर मार्किंग कर दिया गया है। वहां स्थानीय दलाल सक्रिय होकर लोगो को दिग-भ्रमित करके प्लाट बेच रहे है। आज सुबह आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, कार्यपालन अभियता विनीता वर्मा को लेकर उस क्षेत्र का निरीक्षण करने गये, मौके पर शिकायत सही पाई गई। उन्होने वहीं से जोन आयुक्त येशा लहरे, भवन अनुज्ञा अधिकारी अरविंद शर्मा को फोन किये कि तत्काल अपना दल लेकर आए और अवैध प्लाटिंग के विरूद्व कार्यवाही करें। जोन आयुक्त ऐशा लहरे अपने दल के साथ मौके पर पहुंचकर 200 से अधिक अवैध प्लाटों के समस्त लैण्ड मार्क को हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान प्लांट विक्रेताओं द्वारा किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया गया। नगर निगम भिलाई द्वारा प्लाट खरीदने वाले नागरिको को बार-बार सूचित किया जाता है कि कोई भी प्लाट लेने से पहले निगम के राजस्व विभाग, भवन अनुज्ञा शाखा से संपर्क अवश्य करें। आयुक्त पाण्डेय के निर्देश पर निगम का राजस्व विभाग, भवन अनुज्ञा शाखा एवं जिला राजस्व के क्षेत्र निरीक्षक की संयुक्त टीम बनाकर उस क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में कार्यवाही करेगी। रजिस्टार ऑफिस में भी सूचित किया जाएगा इस प्रकार के प्लाटों के रजिस्ट्री पर ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर किसी भी प्लाट के लिए न तो मूलभूत सुविधा सड़क, नाली, पानी, बिजली इत्यादि व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, बाद में सबके लिए परेशानी का सबब बनेगा। आयुक्त ने यह भी कहा कि जिसे भी प्लाट काट कर बेचना है वह प्रॉपर कालोनाईज लाइसेंस ले नियमानुसार रोड़, नाली, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था करके टाउन इन कंट्री प्लानिंग से अप्रुवल ले-आउट के अनुसार प्लाट काटे, निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी। अनावश्यक रूप से लोगो को गुमराह करने वालो के उपर एफ.आई.आर भी दर्ज किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी भूखण्ड विक्रेता की होगी। कार्यवाही के दौरान अभियंता दौलत चंद्रकार, जोन सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, सुपरवाईजर अंजनी सिंह, नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता उपस्थित रहा।